



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK
PRODUCERS' FEDERATION LTD.
FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



TENDER INVITATION FOR REGISTRATION OF CONTRACTORS/ AGENCIES (HEAVY GOODS VEHICLES) FOR TRANSPORTATION OF CATTLE FEED & OTHER MATERIALS

TENDER NO. JMF-PE-TRANSPORTER -HGV/2021-22/019



Date of Publish of Tender : 10 June 2021
Last date for submission of Sealed Tender : 26 June 2021 by 17:00 hrs

Name of Tenderer: _____

Address: _____

Tel./ Mob. no: _____

Email _____

Tender Document Fee: Rs. 500/-

All rights reserved. This material is confidential and proprietary of The Jharkhand State Co-operative Milk Producers' Federation Ltd (JMF) and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means, electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of JMF



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.

FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



पत्रांक:विपणन: 132

दिनांक: 10.06.2021

परिवहन हेतु निविदा आमंत्रण

पशु आहार कारखाना, होटवार, राँची द्वारा उत्पादित पशु आहारों को 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक की अवधि हेतु बिहार एवं झारखंड राज्य के विभिन्न गंतव्य स्थानों में परिवहन हेतु सक्षम परिवहन संवेदकों से मुहरबंद निविदा निबंधित डाक/कुरियर या हाथों-हाथ द्वारा जमा की जाती है।

- निविदा कागजातों की बिक्री की तिथि एवं समय 10.06.2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे से 25.06.2021 के अपराह्न 4.30 बजे तक।
- निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय 26.06.2021 के अपराह्न 5.00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय 28.06.2021 को एडमिन ऑफिस, होटवार राँची में पूर्वाह्न 11.30 बजे।
- निविदा प्रपत्र 500.00 (पाँच सौ रुपये) नगद जमा कर एडमिन ऑफिस, होटवार राँची से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट www.jmf.coop से डाउनलोड कर रू0 500.00 (पाँच सौ रुपये) की किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट जो "झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड" के नाम होगा तथा राँची में भुगतये होगा, संलग्न कर भेजा जा सकता है।
- निविदा के साथ 2000.00 (दो हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक "झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड" के नाम तथा राँची में भुगतये होगा, अग्रधन के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके एक प्रधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकते हैं।
- बिना कारण बताये सभी या किसी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- विशेष जानकारी इस योजना के वेबसाईट www.jmf.coop पर उपलब्ध है।

प्रबंध निदेशक

झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ
लिमिटेड



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.

FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



बोलीदाता/निविदाकर्ता को निर्देश

1. बोलीदाता से बोली दस्तावेज में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। बोली दस्तावेज के लिए आवश्यक सभी जानकारी या प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
2. बोली में दो लिफाफों (एक तकनीकी बोली और दूसरी वित्तीय या मूल्य बोली सहित) एक साथ एक मुख्य लिफाफे के नीचे प्रस्तुत किया जाएगा।
3. बोली दाता बोली/निविदा दस्तावेज में या बोली दस्तावेज में अनुरोध के अनुसार उपयुक्त बोली प्रस्तुत करने के प्रारूप का उपयोग करते हुए तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करेगा। प्रपत्रों/प्रारूपों को उनके प्रारूप में किसी भी परिवर्तन के बिना पूरा किया जाना चाहिए, और कोई विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. निविदा सूचना में निर्दिष्ट समय के अनुसार निविदा बोली डाक/कूरियर द्वारा भेजी जा सकती है या हमारे कार्यालय में हाथ से जमा की जा सकती है। देर से प्राप्त निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
5. बोली हाथ से या डाक/कूरियर द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। डाक या कूरियर द्वारा जमा की गई बोलियों के लिए, यह बोलीदाता की जिम्मेदारी है कि बोली निर्धारित समय और तारीख को या उससे पहले हमारे कार्यालय में पहुंच जाए।
6. यदि निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा में निर्दिष्ट समय पर अगले कार्य दिवस पर बोलियां खोली जाएंगी।
7. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के मामले में जब तक अन्यथा बोली/निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक यूनिट दरों और कीमतों को पूरी तरह से भारतीय रुपये में बोली दाता द्वारा उद्धृत किया जाएगा। सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में किए जाएंगे, जब तक कि बोली/निविदा दस्तावेज में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।
8. अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए, बोली दाताओं को बोली/निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट/अनुरोधित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
9. परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना और बोलियों के बाद की योग्यता, एवं अनुबंध पुरस्कार की सिफारिश से संबंधित जानकारी, बोली दाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी जो आधिकारिक तौर पर ऐसी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है जब तक कि अनुबंध पुरस्कार की जानकारी सभी को नहीं दी जाती है।
10. तकनीकी या वित्तीय बोलियों की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना और योग्यता में सहायता के लिए, बोली मूल्यांकन समिति, अपने विवेक पर, किसी भी बोली दाता से उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकती है। स्पष्टीकरण के लिए समिति का अनुरोध और बोली दाता की प्रतिक्रिया लिखित में होगी।
11. किसी बोली दाता द्वारा अपनी बोली के संबंध में प्रस्तुत कोई स्पष्टीकरण जो बोली मूल्यांकन समिति के अनुरोध के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में एक बोली दाता की योग्यता का निर्धारण बोली दाता द्वारा प्रस्तुत बोली दाता की योग्यता के दस्तावेजी साक्ष्य, योग्यता और मूल्यांकन मानदंड में इंगित योग्यता मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। योग्यता और मूल्यांकन मानदंड में शामिल नहीं किए गए कारकों का उपयोग बोली दाता की योग्यता के मूल्यांकन में नहीं किया जाएगा।
13. जहां आवश्यक समझा जाए, वहां बोली मूल्यांकन समिति को बातचीत करने की पूरी शक्तियां होंगी। हालाँकि, बातचीत केवल सबसे कम बोली लगाने वाले (ओं) के साथ ही की जा सकती है।
14. जेएमएफ किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, एवं बोली प्रक्रिया को बिना कारण बतायें किसी भी समय रद्द कर सकता है और बिना कोई कारण बताए किसी भी समय बिना किसी कारण बताए और बोली दाताओं को किसी भी दायित्व के बिना सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
15. जेएमएफ उस बोली दाता को अनुबंध प्रदान करेगा जिसका प्रस्ताव मूल्यांकन और योग्यता मानदंड में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार सबसे कम निर्धारित किया गया है और यदि बोली दाता अनुबंध को संतोषजनक ढंग से करने के लिए योग्य होने के लिए निर्धारित किया गया है।



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.

FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र-1

पासपोर्ट साइज़
फोटो का स्पेस

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक की स्थिति : व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी
3. आवेदक का स्थायी पता
4. आवेदक का पत्राचार का पता
- (प्रमाणक का छाया प्रति संलग्न करें):
5. आवेदक के अधिकृत व्यक्ति का मोबाइल नम्बर
6. आवेदक का पैन कार्ड संख्या
7. GST संख्या
8. परिवहन हेतु गाड़ियों की संख्या

स्वयं के गाड़ियों की संख्या			लीज/अनुबंध पर ली गयी गाड़ियों की संख्या		
08-09 MT	20 MT	24-30 MT	08-09 MT	20 MT	24-30 MT

9. आवेदक की वित्तीय स्थिति:

वित्तीय वर्ष	कारोबार (रु० लाख में)
2017-18	
2018-19	
2019-20	

- (क) मैं यह सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी सत्य है | दी गयी जानकारी या उसके किसी अंश में किसी भी स्तर पर गलती पाये जाने पर मेरी निविदा झारखण्ड मिल्क फेडरेशन रद्द करने के लिये स्वतंत्र है |
- (ख) निविदा की सभी शर्त स्वीकार्य एवं मान्य है |

दिनांक

निविदादाता का हस्ताक्षर (मुहर के साथ)



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.

FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



निविदा प्रपत्र-2

राँची से वैसे स्थानों/गंतव्यों की सूची जहाँ के लिये परिवहन दर आमंत्रित है

Sr. No.	स्थानों/गंतव्यों का नाम Vehicle Capacity	प्रस्तावित भाड़ा (Lump sum)			प्रस्तावित भाड़ा (per MT)
		08-09 MT	20 MT	24-30 MT	
1	Chatra/चतरा				
2	Deoghar/देवघर				
3	Deoghar (Sarath)/ देवघर (सारठ)				
4	Deoghar (Madhupur)/ देवघर (मधुपुर)				
5	Dumka (Hansdiha)/ दुमका (हंसडीहा)				
6	Garhwa/ गढ़वा				
7	Godda/गोड्डा				
8	Hazaribagh /हजारीबाग				
9	Koderma/ (कोडरमा)				
10	Latehar (लातेहार)				
11	Lohardaga (लोहरदगा)				
12	Palamu (Daltangunj) पलामू (डाल्टनगंज)				
13	Palamu (Bilaspur) पलामू (बिलासपुर)				
14	Ranchi district (villages) राँची के गाँव तक Avg distance 70 Km one side				

नोट : *निविदा में भरे गये परिवहन दर 01 जून 2021 को प्रचलित डीजल की कीमत (RATE) पर आधारित होंगी।

दिनांक

निविदादाता का हस्ताक्षर मुहर के साथ



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.

FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



परिवहन निविदा की मुख्य शर्तें

1. निविदादाता निविदा प्रपत्र की शर्तों को भली-भांति पढ़कर एवं समझकर भरेंगे। अगर निविदा संबंधी कोई जानकारी / स्पष्टता प्राप्त करनी है तो मुख्य कार्यालय के मोबाइल संख्या 7544003404/7360035219 पर संपर्क किया जा सकता है।
2. अनुबंध शुरू में बारह महीने की अवधि के लिए होगा जिसे समान नियमों और शर्तों पर संतोषजनक सेवा पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. पशु आहार एवं अन्य सामग्री का परिवहन मेधा डेरी, होटवार से झारखण्ड के विभिन्न गंतव्य स्थानों के लिए प्रस्तावित है तथा मासिक परिवहन की औसतन 150 एम.टी संभावित है।
4. निर्गत निविदा प्रपत्र में भरी गई निविदा ही स्वीकार की जायेगी। **भरी गई निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का मुहर के साथ हस्ताक्षर अनिवार्य है।**
5. निविदा प्रपत्र 500.00 (पाँच सौ रुपये) नगद जमा कर एडमिन ऑफिस, होटवार राँची से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाइट www.jmf.coop से डाउनलोड कर रु0 500.00 (पाँच सौ रुपये) की किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट जो **“झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड”** के नाम होगा तथा राँची में भुगतये होगा, संलग्न कर भेजा जा सकता है।
6. यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र पशु आहार कारखाना के वेबसाइट से डाउन लोड करते है, तो भरी गयी निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र मुल्य 500.00 (पाँच सौ रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट जो **“झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड”** के नाम तथा राँची में भुगतये होगा अन्यथा उनकी निविदा आमाम्य होगा।
7. निविदा के साथ अग्रधन की राशि 2000/- (दो हजार रुपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो “झारखण्ड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड” के नाम पर होगा तथा राँची में भुगतये होगा। अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा में असफल निविदादाता का अग्रधन राशि 30 दिन के अंदर वापस किया जायेगा।
8. सफल निविदा के अनिवार्य अहर्ता एवं योग्यता :-
 - (क) निविदा के साथ अग्रधन की राशि रुपये 2000/- बैंक ड्राफ्ट।
 - (ख) पैन कार्ड की छायाप्रति। (स्वप्रमाणित)
 - (ग) माल एवं सेवा कर नामांकन की छायाप्रति।(स्वप्रमाणित)
 - (घ) निविदादाता का पत्राचार पता प्रमाण-सहित।(स्वप्रमाणित)
 - (ङ) अंतिम तीन वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न की छायाप्रति।(स्व प्रमाणित)
 - (च) निविदादाता के पास कम से कम 2 गाड़ियों की उपलब्धता होनी चाहिए, जो स्वयं का या नियंत्रणाधीन/ अनुबंधित होनी चाहिए।



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.

FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



9. निविदादाता द्वारा भरे गये दर में परिवहन संबंधी सभी खर्च एवं अन्य कर शामिल होंगे | संवेदक द्वारा समर्पित विपत्रों में से नियमानुसार सर्विस टैक्स एवं इनकम टैक्स (TDS) की कटौती के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
10. निविदादाता को किसी भी सरकारी व अन्य किसी संस्थान से काली सूची में नही डाला गया हो तथा उसपर किसी तरह का मुकदमा दायर न किया गया हो, का स्वप्रमाणित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।
11. दो से अधिक सफल निविदादाता जिनका परिवहन दर न्यूनतम पाया जायेगा, सिर्फ उन्ही से दर संबंधी वार्ता की जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। अधिकृत प्रतिनिधि को उतना सक्षम होना चाहिए कि निविदा खोले जाने के उपरांत दर वार्ता एवं अन्य शर्तों पर उनसे सीधी बात की जा सके, एवं वे निर्णय लेने में सक्षम हो, क्योंकि दर खोले जाने के उपरान्त दर एवं अन्य शर्तों पर वार्ता तत्काल की जा सकती है।
12. सामग्री परिवहन के दौरान रास्ते में वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में निर्धारित गन्तव्य स्थानों तक परिवहनकर्ता को अपने खर्च पर दूसरे वाहन से सामग्री लोड कर भेजने की व्यवस्था अविलम्ब करना होगा, ताकि पशुआहार, मिनरल मिक्सचर एवं अन्य सामग्री की बर्बादी न हो, एवं ससमय गन्तव्य स्थान पर आपूर्ति हो पाये ।
13. विशेष परिस्थिति में किसी दिन गाड़ी लोड /अनलोड नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का हर्जाना का दावा मान्य नहीं होगा ।
14. सफल निविदादाता को कार्यदिश जारी करने के 15 दिन के अन्दर सुरक्षा/ जमानत राशि रुपया 50,000.00 झारखण्ड मिल्क फेडरेशन में एकरारनामा अवधि तक के लिये जमा कराया जा सकता है। जमानत या सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट/विभाग के खाते में नगद जमा या बैंक गारंटी के रूप में होगा जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक से निर्गत होगा तथा "झारखण्ड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड" के नाम होगा तथा राँची में भुगतये होगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा एकरारनामा अवधि में निविदा के किसी शर्त के उल्लंघन अथवा अवहेलना करने पर उक्त राशि को पूर्णतः जब्त करने अथवा आंशिक कटौती के लिये झारखण्ड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड स्वतंत्र होगा।
15. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में वर्णित गन्तव्य स्थानों में से कम से कम 10 गन्तव्य स्थान के लिये अपना दर समर्पित करना अनिवार्य होगा।
16. ट्रक लोडिंग का कार्य पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 5.30 जे तक ही किया जायेगा ताकि अपराहन 6:00 बजे तक चालान आदि प्रपत्र निर्गत किया जा सके ।
17. निविदादाता द्वारा विभिन्न गंतव्यों के लिए दिया गया दर न्यूनतम दूरी व रेगुलर उपयोग में अपनाए जाने वाले रास्ते का प्रयोग के अनुरूप देना आवश्यक है ।
18. सफल निविदादाता को 100.00 रुपये मात्र के नॉन-जुडीसियल स्टैम्प पेपर पर बैधानिक रूप से झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के साथ अनुबंध में करना होगा एवं सिक्योरिटी राशि जमा करना होगा, जो वाहन के क्षमता एवं गंतव्य स्थान के आधार पर जेएमएफ़ द्वारा तय किया जायेगा । सामग्री दुलाई में भेजे जाने वाली गाड़ी का सम्पूर्ण कागजात गाड़ी में उपलब्ध रहना चाहिये एवं वाहन की क्षमता RTO के द्वारा प्रमाणित पेपर सभी दस्तावेज़ के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।
19. वाहन चालक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ (वैध ड्राइविंग लाइसेन्स एवं वाहन से संबन्धित सभी दस्तावेज) का छाया प्रति गाड़ी में उपलब्ध रहना अनिवार्य है । किसी भी दस्तावेज़ के अभाव में प्रशासन के द्वारा की कार्यवाही की पूर्ण जिम्मेवारी निविदाकर्ता की होगी ।



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.

FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



20. झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सामग्री ले जाकर निर्धारित गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना तथा वहाँ से पावती कराकर चालान /रिसीट JMF ऑफिस में जमा करना होगा।
21. सामान परिवहन के दौरान रास्ते में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्च परिवहन कर्ता की जिम्मेदारी होगी।
22. संवेदक जिन्हें कार्य आवंटित होगा उनके द्वारा भेजी गई गाड़ी के चालक, खलासी द्वारा किसी कर्मचारी, कारखाना/कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जायेगी तो उसकी जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा उसकी भरपाई करनी होगी अथवा उनके परिवहन बिल से कटौती किया जायेगा।
23. सामग्री परिवहन के समय, सामग्री भीगे रूप में पाये जाने, गिनती में कम पाये जाने एवं किसी अन्य प्रकार के क्षति के लिये परिवहन संवेदक जिम्मेवार होंगे। उस स्थिति में उनके परिवहन बिल से सममूल्य धनराशि की कटौती की जायेगी।
24. यदि परिवहन संवेदक द्वारा गाड़ी माँग की पूर्ति पूर्णतः या अंशतः लगातार 2 दिन तक नहीं की जाती है, उस स्थिति में जे.एम.एफ. अन्य श्रोत से गाड़ी की व्यवस्था कर सामग्री आपूर्ति करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र होगा। उक्त मद में खर्च हुए अतिरिक्त परिवहन राशि को संवेदक के परिवहन विपत्र से समायोजित/कटौती की जाएगी।
25. किसी प्रकार आपदा, लोकसभा एवं, विधान सभा चुनाव की स्थिति में इन शर्तों में ढील दी जा सकती है, जो पूर्णतः प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में होगा।
26. निविदा में भरे गये परिवहन दर **01 जून 2021** को प्रचलित डीजल की कीमत (Rate) **रु0 90.30** राँची के दर पर आधारित होगी।
27. ईंधन के मूल्य में कमी/बढ़ोतरी होने पर स्वीकृत दर में समानुपातिक कमी/वृद्धि की जाएगी। यह कमी/वृद्धि ईंधन के मूल्य में समेकित रूप से कम से कम 2.00 रुपए प्रति लीटर की दर से कमी/वृद्धि होने पर ही लागू होगी एवं इसकी गणना जेएमएफ द्वारा निर्धारित निम्नलिखित फॉर्मूला एवं शर्त के आधार पर ही की जाएगी जिसे परिवहन संवेदक को स्वीकार करना होगा।

1. Capacity of vehicle = 8-9 MT/20MT/24-30 MT

2. Mileage of truck = Average mileage for 8-9 MT Would be 5 km/lit, 18MT to 24 MT vehicle would be 4km/lit, Above 24-30 MT vehicle would be 3km/lit

3. Base diesel price will be Rs..... per litre Dated

Existing Rate (Rs/MT) as per W.O./P.O

A= Existing Rate (Rs./Km) = -----

Distance of the location from Origin

Change in diesel price (Current diesel price (Current diesel price-Initial diesel price as per tender/W.O)

B= Change in rate (Rs/MT/KM) = -----

Capacity of vehicle X Mileage



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.

FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



C= Revised Rate (Rs./MT/KM) = Existing Rate/Base Rate (A)+ Change in Rate (B)

Revised Rate (Rs/MT) for any location = Revised Rate(A) Rs/MT/KM) X Distance of location the location from Origin

28. गाड़ी की क्षमता का जाँच संवेदक या उनके प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी | लोडिंग क्षमता से अधिक लोडिंग करवाते पाये जाने, रास्ते में प्रशासन द्वारा पकड़े जाने एवं उससे होने वाले किसी प्रकार के जुर्माना/क्षति के लिये संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे | साथ ही इस स्थिति से यदि सामग्री/ कारखाना को कोई क्षति होती है तो इसकी भरपाई उनके विपत्र/जमानत राशि से भी की जा सकती है |
29. निविदा प्रपत्र 5 में दिये गए गन्तव्य स्थान से 20 कि. मी. तक की अतिरिक्त दूरी के लिए कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा |
30. संवेदक एवं JMF के बीच आपसी सहमती के आधार पर प्रस्तावित अवधि के विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है |
31. यदि कुल गंतव्यों में से एक या अधिक निविदादाता सफल होते हैं तो वैसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा की वह बाँट कर एक या एक से अधिक निविदादाताओं को परिवहन कार्य दे सकते हैं |
32. झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सामग्री ले जाकर निर्धारित गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना होगा तथा वहाँ से पावती कराकर चालान /रिसीट JMF ऑफिस में जमा करना अनिवार्य होगा | समय-समय पर सामग्री का आपूर्ति क्षेत्र में पड़ने वाले एक से अधिक स्थान पर खाली करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है इस स्थिति में अधिकतम दूरी/पूर्ण लोडिंग क्षमता के दर का भुगतान किया जायेगा | सभी जगह पर अनलोडिंग की जिम्मेवारी परिवहन कर्ता की होगी |
33. जैसे निविदादाता जिनके पास अपना ट्रक है वे निविदा के साथ सभी ट्रक का ओनर बुक की छायाप्रति एवं बीमा की छायाप्रति एवं अवश्य संलग्न करें जिससे यह स्पष्ट हो सके की उनके द्वारा ट्रकों का निर्वहन एवं बीमा अनुमान्य है |
34. सफल निविदादाता द्वारा सामग्री परिवहन हेतु भेजे गये ट्रक के चालक के पास ड्राइविंग लाईसेंस, भार वहन क्षमता का प्रमाण पत्र, ट्रक का बीमा तथा अन्य वैधानिक दस्तावेज़ होना अनिवार्य है |
35. सफल निविदादाता जिन्हें कार्यदिश निर्गत होगा, सामग्री परिवहन करने के उपरांत दस दिन के अंदर भुगतान हेतु सारे संबंधित प्रपत्र के साथ समर्पित करना होगा, सारे विपत्र के जांचोपरान्त विपत्र का भुगतान चेक/बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा |
36. जेएमएफ़ द्वारा निर्वाह पशु आहार एवं अन्य सामग्री समय पर उपलब्ध करवाने हेतु दो परिवहनकर्ता की आवश्यकता होगी | क्योंकि किसान द्वारा पशु आहार एवं अन्य सामग्री की कीमत का अग्रिम भुगतान किया जाता है | प्रायः देखा गया है कि पशु आहार एवं अन्य सामग्री की माँग बढ़ जाने की स्थिति में पहले परिवहनकर्ता द्वारा वाहन की आपूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं तो दूसरे परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन का कार्य सम्पन्न करने का अधिकार जेएमएफ़ को रहेगा | इसमें किसी भी परिवहन कर्ता को आनुपातिक या आंशिक मात्रा में परिवहन करने हेतु आदेश जारी नहीं किया जायेगा |



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.

FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



37. कार्य आवंटन का आदेश झारखण्ड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्गत किया जाएगा तथा कार्य आवंटन के उपरांत किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पहले आपसी सहमति से विचार विमर्श कर उसका निदान किया जायेगा। आपसी सहमति से निदान नहीं होने की स्थिति में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
38. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राँची होगा।
39. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को किसी भी स्टेज में रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को सुरक्षित रहेगा।
40. अनुबंध के मसौदे की एक प्रति अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है
41. निविदा में अलग कोई शर्त लिखना मान्य नहीं होगा तथा अलग से शर्त देने पर वैसे निविदा को रद्द किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार्य एवं मान्य है।

दिनांक:

निविदादाता का हस्ताक्षर (मुहर के साथ)



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.

FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



अनुबंध-1

पशु आहार एवं अन्य सामग्री परिवहन हेतु अनुबन्ध

दिनांक.....को झारखंड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्सफेडरेशन लि०, राँची,(जे०एम०एफ०) एवं आवेदक श्री.....,पिता का नाम....., स्थायीपता....., जिसमे उनके उत्तराधिकारी एवं अभिकर्ता भी सम्मिलित है, के मध्य जिसे एतद द्वारा परिवहनकर्ता कहा गया है, पशु आहार एवं अन्य सामग्री के परिवहन हेतु दिनांक.....से दिनांक.....तक निम्नलिखित शर्तों पर रुपया 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाता है :

- परिवहनकर्ता को अनुबंध के समय निम्नलिखित दस्तावेज स्टाम्प पेपर के साथ संलग्न करना अनिवार्य है :
 - स्टाम्प के साथ सुरक्षा /अग्रधनराशि रुपया 50000/- का बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी
 - पैन कार्ड की छायाप्रति। (स्वप्रमाणित)
 - माल एवं सेवा कर नामांकन की छायाप्रति।(स्वप्रमाणित)
 - परिवहनकर्ता का पत्राचार पता (आधार/अन्य) प्रमाण-सहित। (स्वप्रमाणित)
 - अंतिम तीन वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न की छायाप्रति।(स्व प्रमाणित)
- पशु आहार एवं अन्य सामग्री पशु आहार फैक्ट्री, होटवार से झारखण्ड के विभिन्न जिलों में गाँव स्तर के दुध संकलन समूह एवं अन्य निर्धारित स्थानों तक पहुँचाने का परिवहनदर क्षमता (MT) के अनुसार कार्यदेश (Workorder.....) में अंकित दर के अनुसार होगा।
- परिवहनकर्ता एवं जेएमएफ के बीच आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तावित अवधि के विस्तार करने का अधिकार जेएमएफ को सुरक्षित रहेगा।
- सामग्री परिवहन के दौरान रास्ते में वाहन दुर्घटना होने की स्थिति में निर्धारित गन्तव्य स्थानों तक परिवहनकर्ता को अपने खर्च पर दूसरे वाहन से सामान लोडकर भेजने की व्यवस्था अबिलंब करना होगा, ताकि पशु आहार, मिनरल मिक्सचर एवं अन्य सामग्री की बर्बादी न हो, एवं ससमय गंतव्य स्थानों पर आपूर्ति हो पाये।
- परिवहन कर्ता को रु० 50,000.00 (रुपया पचास हजार मात्र) जमानत या सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा जो किसी राष्ट्रीय बैंक से निर्गत होगा तथा "झारखण्ड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड" के नाम होगा तथा राँची में भुगतान होगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा एकरारनामा अवधि में निविदा के किसी शर्त के उल्लंघन अथवा अवहेलना करने पर उक्त राशि को पूर्णतः जब्त करने अथवा आंशिक कटौती के लिये झारखण्ड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड स्वतंत्र होगा।
- कार्यदेश में अंकित गन्तव्य स्थान से 20 कि. मी. तक की अतिरिक्त दूरी के लिए कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा।
- जे०एम०एफ० कार्यालय द्वारादिए गये निर्देशानुसार पशुआहार एवं अन्य सामग्री, फैक्ट्री से उठाकर निर्धारित गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचाना तथा वहाँ से पावती पर्ची जे०एम०एफ० कार्यालयमें जमा करना अनिवार्य है। समय- समय पर सामग्री का आपूर्ति क्षेत्र में पड़ने वाले एक से अधिक स्थान पर खाली करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है इस स्थिति में अधिकतम दूरी/पूर्ण लोडिंग के दर का भुगतान किया जायेगा। सभी जगह पर अनलोडिंग की जिम्मेवारी परिवहन कर्ता की होगी।
- जे०एम०एफ० कार्यालय द्वारादिए गये निर्देशानुसार (Indentके अनुसार)परिवहन कर्ता द्वारा दिये जाने वाले वाहन की क्षमता का पूर्ण जिम्मेदारी परिवहन कर्ता की होगी।
- गाड़ी की क्षमता का जाँच संवेदक या उनके प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी। लोडिंग क्षमता से अधिक लोडिंग करवाते पाये जाने, रास्ते में प्रशासन द्वारा पकड़े जाने एवं उससे होने वाले किसी प्रकार के जुर्माना/क्षति के लिये संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं उससे होने



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.

FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



वाले किसी भी प्रकार के क्षति के लिये सवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। साथ ही इस स्थिति से यदि कारखाना को कोई क्षति होती है तो इसकी भरपाई उनके विपत्र/जमानत राशि से भी की जा सकती है।

10. विशेष परिस्थिति में किसी दिन गाड़ी लोड/अनलोड नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का हर्जाना का दावा मान्य नहीं होगा।
11. ट्रक लोडिंग का कार्य पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:30 बजे तक ही किया जायेगा ताकि अपराह्न 06:00 बजे तक चालान आदि निर्गत किया जा सके।
12. परिवहन कर्ता द्वारा भेजी गयी वाहन के चालक, खलासी या किसी अन्य द्वारा कारखाना/ कार्यालय को किसी प्रकार क्षति पहुँचाई गई तो उसकी जिम्मेदारी कॉन्ट्रेक्टर को होगी तथा उसकी भरपाई करनी होगी अथवा उनके परिवहन बिल से कटौती किया जायेगा।
13. सामग्री परिवहन के समय सामग्री भीगे रूप में पाये जाने, गिनती में कम पाये जाने एवं वाहन कि खराबी, अनियमितता, लापरवाही, इत्यादी के कारण यदि पशु आहार या अन्य सामग्री इत्यादी का नुकसान होता है तो उस स्थिति में सामग्री की पूर्ण धनराशि कॉन्ट्रेक्टर के परिवहन बिल या जमानत धनराशि से कटौती किया जायेगा।
14. कॉन्ट्रेक्टर/ उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति वाहन से पशु आहार इत्यादि चुराते या बेचते हुए पाया जाता है तो अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा तथा परिवहन बिल के साथ सिक्योरिटी रकम को जब्त कर ली जायेगी।
15. गाड़ी की माँग जे॰एम॰एफ॰ द्वारा समय समय पर की जायेगी एवं जिसकी सूचना 1-2 दिन पूर्व दे दिया जायेगा। पशु आहार एवं अन्य सामग्री गंतब्य स्थल तक पहुंचाने के उपरान्त समूह स्थल से निर्धारित पर्ची में पशु आहार पाने वाले का हस्ताक्षर करा कर एवं अन्य सम्बंधित दस्तावेज कार्यालय को सौपने की जिम्मेवारी वाहन के कॉन्ट्रेक्टर की होगी।
16. यदि परिवहनकर्ता द्वारा गाड़ी माँग की पूर्ति पूर्णतः या अंशत लगातार 2 दिन तक नहीं की जाती है, तो ऐसे स्थिति में JMF अन्य स्रोत से गाड़ी की व्यवस्था कर सामग्री आपूर्ति करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र होगा। उक्त मद में खर्च हुए अतिरिक्त राशि को संवेदक के परिवहन विपत्र से समायोजित/ कटौती की जायेगी।
17. पशु आहार एवं अन्य सामग्री को धूप, बरसात इत्यादि से नष्ट होने से बचाने के लिए वाहन को समुचित कवरिंग हेतु त्रिपाल आदि कि व्यवस्था करनी होगी।
18. ईंधन के मूल्य में कमी/बढ़ोतरी होने पर स्वीकृत दर में समानुपातिक कमी/वृद्धि की जाएगी। यह कमी/वृद्धि ईंधन के मूल्य में समेकित रूप से कम से कम 2.00 रुपए प्रति लीटर की दर से कमी/वृद्धि होने पर ही लागू होगी एवं इसकी गणना जेएमएफ द्वारा निर्धारित निम्नलिखित फॉर्मूला एवं शर्त के आधार पर ही की जाएगी जिसे परिवहन संवेदक को स्वीकार करना होगा।

I. Capacity of vehicle = 8-9 MT/20MT/24-30 MT

II. Mileage of truck = Average mileage for 8-9 MT would be 5 km/lit
18 MT to 24MT vehicle would be 4km/lit & above 24-30 MT would be 3 km/Lit.

III. Base diesel price will be Rs..... per liter Dated

A= Existing Rate (Rs./Km) = $\frac{\text{Existing Rate (Rs/MT) as per W.O./P.O}}{\text{Distance of the location from Origin}}$

B= Change in rate (Rs./MT/KM) = $\frac{\text{Change in diesel price (Current diesel price - Initial diesel price as per tender/W.O)}}{\text{Capacity of vehicle X Mileage}}$

C= Revised Rate (Rs./MT/KM) = Existing Rate/Base Rate (A)+ Change in Rate (B)



THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.

FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop



Revised Rate (Rs/MT) for any location = Revised Rate(A) Rs/MT/KM) X Distance of location the location from Origin

19. यदि पशु आहार वाहन को किसी व्यक्ति/ समूहों द्वारा क्षति पहुंचाई जाती है तो जे०एम०एफ० जिम्मेवार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, परिवहन के समय वाहन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसके लिए जे०एम०एफ० जिम्मेवार नहीं होगा।
20. परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी की आपूर्ति किये गये सभी वाहनों के साथ वैधानिक कागजात यथा, चालक अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेन्स), वाहन बीमा इत्यादि के अद्यतन स्थिति में हो, अन्यथा किसी इमरजेंसी स्थिति में बीमा दावा अस्वीकार होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति के जिम्मेवारी कॉन्ट्रैक्टर की होगी।
21. परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन हेतु भेजे गये ट्रक के चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, भार वहन क्षमता का प्रमाण पत्र, ट्रक का बीमा तथा अन्य वैधानिक दस्तावेज़ होना अनिवार्य है।
22. सामान परिवहन के दौरान रास्ते में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्च परिवहन कर्ता की जिम्मेदारी होगी।
23. सामग्री परिवहन करने के उपरान्त दस दिन के अंदर भुगतान हेतु सारे संबंधित प्रपत्र के साथ समर्पित करना होगा, सारे विपत्र के जांचोपरान्त विपत्र का भुगतान चेक/बैंक के माध्यम से नियमानुसार सर्विस टैक्स एवं इनकम टैक्स (TDS) की कटौती के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
24. किसी प्रकार की अनियमितता एवं गलत विवरणी पाये जाने के उपरान्त 24 घंटे के अग्रिम नोटिस के तत्काल प्रभाव से पूर्व कार्यालय आदेश निरस्त करते हुए वाहन को हटाने का अधिकार प्रबंध निदेशक, जे०एम०एफ०, का होगा।
25. अनुबंध के समयकाल में अनुबंध या अनुबंध की शर्तों के संबंध में किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में पहले आपसी सहमति से विचार विमर्श कर उसका निदान किया जायेगा। आपसी सहमति से निदान नहीं होने की स्थिति में प्रबंध निदेशक, जे०एम०एफ०, राँची द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
26. किसी प्रकार के विवाद में न्यायिक क्षेत्र राँची होगा।

झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक
महासंघ लिमिटेड के लिये

परिवहनकर्ता का हस्ताक्षर

.....

.....

1. गवाह-

1. गवाह-

पता -

पता -

2. गवाह-

2. गवाह-

पता -

पता -